भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *36

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार के अवसर

***36 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों के लिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार गिग वर्करों और दिहाड़ी श्रमिकों सहित अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है; और

(ग) स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर श्रमिकों के पलायन को कम करने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"रोजगार के अवसर" के संबंध में श्री के. आर. एन. राजेश कुमार द्वारा दिनांक 28-11-2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *36 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने महिलाओं और ग्रामीण कार्यबल सहित देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल/उपाय किए हैं।

सरकार ने महिला श्रमिकों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए और काम करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों में वैतनिक मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, क्रेच सुविधा, समान वेतन आदि जैसे कई प्रावधान शामिल किए हैं।

सरकार महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण कार्यबल के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), वुमन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग- किरण (वाइज-किरण), एसईआरबी-पावर (खोजी अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि को कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। बजट में अन्य नीतिगत उपायों के अलावा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच स्थापित करने की भी घोषणा की गई।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन और दिव्यांगता सुरक्षा कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर समुचित कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

i. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और दिव्यांगता सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर जोखिम कवरेज 2.00 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के मामले में जोखिम कवरेज 2.00 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए 1.00 लाख रुपये है।

ii. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से वंचितता और व्यवसाय मानदंडों के तहत स्वास्थ्य संबंधी लाभो को बीमित किया गया है। यह द्वितीयक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।

iii. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएमएसवाईएम) नामक एक पेंशन योजना शुरू की थी जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस संहिता में जीवन और दिव्यांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित गिग श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है। यह संहिता कल्याण योजना को वित्तपोषित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का भी प्रावधान करती है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का सुगमता से लाभ प्रदान किया जा सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संबंधी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों।

*****